न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

रसद विविध : 01/2014 :

प्रार्थीः— बनाम अप्रार्थीः—

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सेन्दडा जिला पाली

1. भंवरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी धौलादाता पुलिस थाना नसीराबाद
2. धनराज पुत्र गोपाल जाति लुहार निवासी रामनगर ओराही जिला जालौन उत्तरप्रदेश
3. मलखान पुत्र बल्लु जाति अहीरवास निवासी रामनगर ओराही जिला जालौन उत्तरप्रदेश
4. ग्यारसीलाल पुत्र कामटसिंह जाति रावत निवासी धौलादाता पुलिस थाना नसीराबाद
5. मस्तराम पंवार पुत्र मोतीराम जाति रावत निवासी गजानाडी पुलिस थाना भीनाय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित
प्रार्थी की ओर से राजकीय पैरोकार प्रवर्तन निरीक्षक
अप्रार्थी की ओर से श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 19.12.2017

प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया दिनांक 12.07.2011 को मुखबिर की सूचना पर मय जाब्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर नाकाबन्दी की गई। इस दौरान वक्त 10.20 पी.एम. पर ब्यावर की तरफ से एक टेंकर नम्बर आर0जे0 01 जी. 2821 आ रहा था, जिसे रूकवाया व पूछताछ की गई, तो अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि टेंकर में डीजल भरा है। इस पर डीजल के कागजात के बारे में पूछा तो कागजात नही होना जाहिर किया। टेंकर का ढक्कन खोल कर देखा जो उसमें से केरोसीन की खुशबु आ रही थी। इस पर उक्त तरल पदार्थ को परिवहन करने के सम्बन्ध में लाईसेन्स एवं परमीट के बारे में पूछने पर उक्त दस्तावेज भी उपलब्ध नही होना बताया। अतः टेंकर में भरे तरल पदार्थ में से 3 प्लास्टिक की बोतले रासायनिक परीक्षण हेतु शिल्ड कर मॉक, ए0बी0सी0 अंकित किया गया तथा शेष डीजल/केरोसीन लगभग 12 हजार लीटर टंकर में रखा जाकर जरिये फर्द कब्जा पुलिस लिया गया। अप्रार्थीगण से गहनता से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि इस टेंकर में डीजल/केरासीन अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा गंगा होटल से भरवाया गया है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जुर्म प्रमाणित पाया गया है तथा वर्तमान में सभी मुलजिमान न्यायालय से जमानत पर है। उक्त आवश्यक वस्तु का धारा 6 ए के तहत निस्तारण होने पर ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः जब्तसुदा टेंकर संख्या आर0जे0 01 जी0 2821 में अवैध केरोसीन/डीजल का निस्तारण करवाने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जब्त केरोसीन राज्यासात करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही होना चाहिर किया।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा केरोसीन का अवैध विक्रय किया है, यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं पी.डी.एस.कंट्रोल ऑर्डर 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः अप्रार्थी से जब्तशुदा 12000 लीटर केरोसीन राज्यासात करना न्यायोचित पाते हैं ।

फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी से जब्त 12000 लीटर केरोसीन को राज्यासात किया जाता हैं। चूंकि उक्त केरोसीन को माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश पाली द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 85/2012 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2012 की पालना में नीलाम किया जा चुका है तथा राशि राज्यकोष में जमा करवाई जा चुकी है। अतः जिला रसद अधिकारी, पाली को आदेशित किया जाता है कि नीलामसुदा केरोसीन से प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा होने के सम्बन्ध में पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली